184/2016 | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

धर्मेन्द्र कुमार v/s राजस्थान

9-16

पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष हाजिर । हमने विद्वान अभिभाषकगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार रेकार्डेड खातेदार या उनके वैधानिक वारिसान राजस्व रेकार्ड में अंकित अपने हिस्सों के अनुसार न्यायालय द्वारा "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" बंटवारा करवाने के हक व अधिकारी है। इसलिये आराजी खसरा नम्बर 863/0.01, 864/0.01, 865/4.79 कुल किता 3 कुल रकबा 4.81 हैक्टेयर

अवस्थित ग्राम भगोट तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की जमाबन्दी में अंकित हिस्से के अनुसार बंटवारा किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जाती है:–

(1)यदि पक्षकारान ने आपस में वाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावे ।

(2) पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

(3) यदि उपरोक्त बिन्दु स. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित आराजियात का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा मौके पर विधिवत "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" कर प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावे । बंटवारा प्रस्ताव करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। वादीगण मौका कमिश्नर फीस 500/- रूपये अदा करेंगे । पत्रावली तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव के दिनांक 20.10.16 को पेश हो । प्राथमिक डिक्री इसी को समझा जावें ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner